



कार्यालय जिला पंचायत कांकेर

विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिये गारंटी मिशन (ग्रामीण)
जिला उत्तर बस्तर कांकेर(छत्तीसगढ़)

zpkankervbgramg@gmail.com, Phone 07868-241039, Toll Free- 1800-233-1545

क्रमांक/ 4626 / जि.पं./VB-G RAM G/लेखा-स्था/ 26-27/ कांकेर,

दिनांक 17/10/2026

—o विज्ञापन o—

अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर के पत्र क्रमांक/GENS/4235/2025-P&RD/नवा रायपुर दिनांक 07.07.2026 के माध्यम से विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) योजनांतर्गत पदों की स्वीकृती अनुसार आयुक्त वी.बी.-जीरामजी के पत्र (नियुक्ति की अनुमति हेतु) क्रमांक I/ 566646/ 2026/ V-7/ VB-G RAM G/ESTB, रायपुर दिनांक 06.08.2026 एवं (शैक्षणिक अर्हता हेतु) I/ 608889/ 2026/ V-7/ VB-G RAM G/ ESTB, रायपुर दिनांक 31.08.2026 में दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए जिले में लेखापाल (संविदा) के स्वीकृत पद के विरुद्ध 04 रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों से दिनांक 01 नवंबर 2026 को रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाईन पंजीयन (Online Registration) के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। ऑनलाईन आवेदन की लिंक <https://zpkanker.indicompute.com/> है, जिसे जिले की वेबसाइट www.kanker.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात आवेदन नहीं किये जा सकेंगे।

संविदा पद का नाम – लेखापाल (संविदा-वी.बी.-जी राम जी)

आरक्षण रोस्टर अनुसार रिक्तियों की संख्या

अनारक्षित				अजजा				अ.पि.व.				अ.जा.				योग				कुल पद संख्या
मुक्त	महिला	भू.पू.सं.	विक	मुक्त	महिला	भू.पू.सं.	विक	मुक्त	महिला	भू.पू.सं.	विक	मुक्त	महिला	भू.पू.सं.	विक	मुक्त	महिला	भू.पू.सं.	विक	
1	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	4

शैक्षणिक अर्हता एवं मेरिट अंक का निर्धारण

न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता	मेरिट हेतु अंक निर्धारण
B.COM (Bachelor Of Commerce) में 55% के साथ उत्तीर्ण (अजजा एवं अजा हेतु 50%) (बस्तर व सरगुजा संभाग के लिए द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण)	- हायर सेकेण्डरी में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का Weightage देते हुये। - न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता पर 100 अंको का Weightage देते हुये। - कंप्यूटर प्रायोगिक परीक्षा पर - शासकीय ग्रामीण विकास योजनाओं में कम से कम समान वेतनमान पर 1 से 2 वर्ष के अनुभव पर -05 अंक 2 से 5 वर्ष के अनुभव पर -10 अंक 5 वर्ष से अधिक के अनुभव पर -15 अंक
	कुल - 100 अंक

निवासी एवं आयु सीमा :-

आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना चाहिए एवं दिनांक 01.09.2026 की स्थिति में उम्मीदवार की आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा के लिए छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी छूट संबंधी आदेश निर्देश इन नियुक्तियों के लिए भी लागू होंगी।



कार्य अनुभव का अंक :-

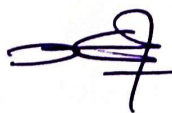
केवल शासकीय ग्रामीण विकास योजनाओं में समान अथवा अधिक वेतनमान पर कार्यरत रहने का ही अनुभव मान्य होगा। इसके अतिरिक्त अन्यत्र कार्यरत रहने के अनुभव का अंक नहीं जोड़ा जायेगा। अनुभव के अंक का लाभ प्राप्त करने हेतु (1). नियुक्ति आदेश की प्रति एवं (2). अनुभव प्रमाण पत्र व वर्तमान में कार्यरत रहने की स्थिति में नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

अन्य शर्तें :-

- 1/ ऑनलाईन प्रविष्टि किए गए आवेदनों में अभ्यर्थी द्वारा भरे गए किसी भी प्रकार के त्रुटीपूर्ण प्रविष्टियों के अभ्यर्थी स्वयं जवाबदार होंगे, व इनमें किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा। साथ ही त्रुटीपूर्ण अथवा असत्य दस्तावेजों के आधार पर भरे गए आवेदनों को निरस्त कर दिया जावेगा।
- 2/ आवेदकों की संविदा नियुक्ति छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी "संविदा नियुक्ति नियम 2012" में निहित शर्तों के अधीन होगी, एवं संविदा अवधि में "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा संविदा नियुक्ति नियम 2012" के तहत अवकाश की पात्रता होगी।
- 3/ निर्धारित मापदंडों के अनुरूप छानबीन उपरांत अभ्यर्थियों की प्रारंभिक सूची दावा/आपत्ति के लिए जिला पंचायत की सूचना पटल पर चस्पा किया जाएगा, तदुपरांत पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों को 1:5 अनुपात के मान से दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलावा पत्र प्रेषित किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन में अपूर्ण दस्तावेजों के साथ उपस्थित अथवा अनुपस्थित अभ्यर्थी को किसी भी शर्त में दूसरा अवसर नहीं दिया जावेगा।
- 4/ सर्व प्रथम प्राप्त समस्त आवेदनों की दावा/आपत्ति हेतु पात्र/अपात्र सूची जारी की जावेगी, सूची में किसी भी प्रकार के लिपिकिय त्रुटी के संशोधन हेतु एक ही अवसर दिया जावेगा, नियत समय पश्चात प्राप्त किसी भी जवाब/दावे को स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- 5/ इसके पश्चात अनुपातिक रूप से आहुत अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जावेगा, इनमें से पात्र अभ्यर्थियों को ही उच्चतम योग्यता के आधार पर कंप्यूटर प्रायोगिक परीक्षा के लिए चयनित किया जावेगा, जिस हेतु अभ्यर्थियों को पहचान हेतु फोटो आइडी के रूप में आधार अथवा पैन कार्ड लाना अनिवार्य होगा।
- 6/ सत्यापन में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा, अभ्यर्थी स्वयं अपनी व्यवस्था एवं व्यय से नियत स्थल पर नियत समयावधि में उपस्थित होंगे। सत्यापन हेतु बुलावा पत्र प्राप्त नहीं होने की स्थिति में जिले के वेबसाइट अथवा कार्यालय के सूचना पटल का अवलोकन कर अभ्यर्थी निर्धारित समय व स्थल पर उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।
- 7/ चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाए जाने पर उनका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जाएगी।
- 8/ कोई भी अभ्यर्थी जिसकी पहले से 02 जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये योग्य नहीं होगा। साथ ही छ.ग. सिविल सेवा सेवा की सामान्य शर्तें नियम 1961 में नियुक्ति के लिये अनर्हताएँ भी लागू होगी।



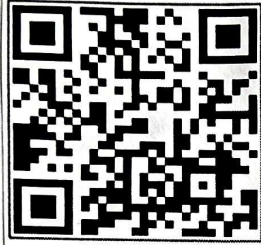
- 9/ आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों को स्वयं के द्वारा सत्यापित किया जाना होगा साथ ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक तक वांछित शैक्षणिक योग्यता पूर्ण होना अनिवार्य है, आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत किसी भी प्रकार की कोई शैक्षणिक योग्यता पृथक से जॉड़ा या लिया नहीं जाएगा।
- 10/ आवेदन पत्र के साथ छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी होने के संबंध में सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र जमा किया जाना होगा।
- 11/ इसी प्रकार दिव्यांगजनों को मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र जमा किया जाना होगा।
- 12/ आवेदक को रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र लगाया जाना अनिवार्य है, इसके सत्यापित प्रति संलग्न नहीं होने की स्थिति में आवेदन अमान्य/अपात्र अथवा निरस्त किया जावेगा।
- 13/ आरक्षण का लाभ लेने के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी की गई स्थाई जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
- 14/ उपरोक्त पद के लिए एकमुश्त मानदेय दिया जावेगा, इस मानदेय पर विशेष वेतन, महंगाई भत्ता क्षतिपूर्ति भाड़ा भत्ता इत्यादि नहीं दिया जाएगा तथा संविदा नियुक्ति के अधीन वित्त विभाग से प्राप्त स्वीकृती व शासन निर्देशों के आधार पर मानदेय वृद्धि की पात्रता होगी।
- 15/ आवेदक जिन्हें पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित किसी भी योजना से पूर्व में अनियमितता के आधार पर किसी भी पद से पृथक किया गया होगा, या उनकी संविदा सेवावृद्धि निरंतर नहीं की गई है, वे पात्र नहीं माने जायेंगे। इस संबंध में गलत जानकारी दिए जाने पर नियुक्ति के पश्चात भी उम्मीदवारी किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी।
- 16/ संविदा नियुक्ति 1 वर्ष के लिए होगी तत्पश्चात आवश्यकता होने पर कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार के आधार पर शासन के निर्देशानुसार दोनों पक्षों की सहमति से कार्य अवधि 1 वर्ष के लिए निरंतर रखे जाने पर विचार किया जावेगा।
- 17/ वी.बी.-जीरामजी योजनांतर्गत आकस्मिक राशि श्रृजन के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान व नियुक्ति आदेश जारी किये जाने के पूर्व विज्ञापित पदों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है।
- 18/ नियुक्ति प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की आपत्ति का निराकरण, कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक वी.बी.-जीरामजी द्वारा किया जावेगा, साथ ही आवेदन में सहमति देने का आशय यह होगा कि, लिया गया निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
- 19/ उक्त विज्ञापन/नियुक्ति आरक्षण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर रिट पिटिशन के अध्याधीन रहेगा, एवं उक्ताशय के संबंध में पारित आदेश नियुक्त उम्मीदवारों पर बंधनकारी रहेगा।
- 20/ चयन होने के पश्चात, चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश जारी किया जावेगा, जिसके आधार पर अभ्यर्थी को नियोक्ता के साथ करार पत्र (50रूपये का अनुबंध पत्र) निष्पादित करना होगा।
- 21/ वर्तमान में शासकीय कार्यालयों में कार्यरत अभ्यर्थियों को कार्यरत संस्था से नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।



22/ ऑनलाईन आवेदन की लिंक <https://zpkanker.indicompute.com/> है, जिसे जिले की वेबसाइट www.kanker.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

23/ इसके साथ ही जवाब/दावे हेतु प्रारंभिक पात्र/अपात्र सूची, बुलावा पत्र की सूची, मैरीट सूची, चयन सूची एवं भर्ती से संबंधित समस्त जानकारी केवल और केवल जिले के वेबसाइट www.kanker.gov.in पर ही अपलोड की जावेगी। किसी भी अभ्यर्थी को समय पर सूचना नहीं मिल पाने अथवा संपर्क नहीं हो पाने की स्थिति में इस कार्यालय की जवाबदारी नहीं होगी।

(कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक— वी.बी.जीरामजी जिला उ.ब.कांकेर द्वारा अनुमोदित)




मुख्य कार्यपालन अधिकारी

एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक—वी.बी.जीरामजी
जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

क्रमांक/ 4627 / जि.पं./VB-G RAM G/लेखा-स्था/ 26-27/ कांकेर, दिनांक 17/10/2026
प्रतिलिपि :-

- 1/ प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर छत्तीसगढ़ को सादर सूचनार्थ।
- 2/ आयुक्त, वी.बी.—जी राम जी, विभागाध्यक्ष कार्यालय, विकास भवन, अटल नगर रायपुर छत्तीसगढ़ को सादर सूचनार्थ।
- 3/ आयुक्त बस्तर संभाग, जिला—जगदलपुर को सादर सूचनार्थ।
- 4/ कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक— वी.बी.जीरामजी जिला उ.ब.कांकेर को सादर सूचनार्थ।
- 5/ जिला रोजगार अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर को सूचनार्थ।
- 6/ जिला जनसंपर्क अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर को सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
- 7/ जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर को सूचनार्थ एवं जिले के वेबसाइट www.kanker.gov.in में उक्त विज्ञापन की जानकारी अपलोड करने की आवश्यक कार्यवाही हेतु।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी

एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक—वी.बी.जीरामजी
जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)